तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं... अहका... की...
	वास्ते तलब होने बंटवारा स्कीम हेतु दिनांक 17-4-2018 को पेश हो।	
	उप जिला कलक्टर, बामनवास (स० मा०)	
17/4/18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित/ लैण्ड रेकर्डर की ओर से बंटवारा स्कीम प्राप्त हो चुकी है। अतः बंटवारा स्कीम के अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। बंटवारा स्कीम के अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर की जावे।	
[illegible]	उप जिला कलक्टर, बामनवास (स० मा०)	

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 व 7 सी.पी.सी.)
न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः रामकिशोर मीना, आर.ए.एस.

1. लक्ष्मण पुत्र माधो,
2. इन्द्रा पत्नी लक्ष्मण,

जाति दरोगा, निवासी बरनाला, तहसील बामनवास, वादीगण

बनाम

1. रामरूप पुत्र बदरी,
2. पृथ्वीराज पुत्र बदरी,
3. सुरजा पत्नी बदरी

सभी जाति मीना निवासी बरनाला,

4. सोनू पुत्र दयाराम,
5. अंकिता पुत्री दयाराम
6. सुमन पुत्री दयाराम

| नाबालिगान जरिये संरक्षिका माता श्रीमती रुमाली पत्नी दयाराम जाति मीना निवासी बरनाला,

7. रुमाली पत्नी दयाराम
8. हरबाई पत्नी गिर्राज पुत्री बदरी, जाति मीना निवासी गाड़द तहसील बौंली हाल निवासी बरनाला तहसील बामनवास
9. केशन्ती पत्नी बनवारी पुत्री बदरी, जाति मीना निवासी खेड़ला तहसील सपोटरा, जिला करौली, हाल निवासी बरनाला तहसील बामनवास
10. फौरन्ती पत्नी रामदयाल पुत्री बदरी, जाति मीना निवासी कटकड़ तहसील हिण्डौन, जिला करौली, हाल निवासी बरनाला तहसील बामनवास
11. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा बरनाला जरिये शाखा प्रबन्धक, बैंक,
12. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास,

प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र बावत भूमि विभाजन</u>

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

राजस्व वाद संख्या 86/2017

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नवल द्विवेदी उपस्थित, प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं । इस वाद के आज दिनांक .....4.2018 को मुझ पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादीगण का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण अंतिम तौर पर डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है व विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री दी जाती है कि ग्राम बरनाला के तन में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1180/2268 रकवा 0.0800 है., 2078 रकवा 0.1100 है. 2089 रकवा 1.8700 है., 2091 रकवा 0.8900 है., 2092 रकवा 1.3200 है., कुल किता 5 कुल रकवा 4. 2700 है. सभी नहरी अब्बल, के 7/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार होने के आधार पर वादीगण को खातेदार व प्रतिवादीगण के मध्य उपरोक्तानुसार विभाजन किया जावे तथा वादीगण का हिस्सा 7/9 समस्त आराजियात् में कायम किया जाकर अलग नम्बर व खाता कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे तथा प्रतिवादीगण के नाम से 2/9 हिस्से का अलग खाता कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अलग नम्बर कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे व खातों की अनुरूपता में ही पृथक से लगान निर्धारित किया जावे । इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे, विभाजन प्रस्ताव निर्णय का हिस्सा रहेगा ।

आज दिनांक 17-4-2018 को स्टॉम्प ड्यूटी पेश होने पर

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

डिक्री जारी की गई ।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)
(रामकिशोर मीना)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	